

निश्चित करती है और तदनुसार कोयला रेल द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। रेल द्वारा ढुलाई में कमी के किसी मामले में कोल इण्डिया लि० उतना कोयला सड़क से ले जाने के लिए देता है जितना रेल से ले जाने में कम रह जाता है।

साधारण डाक द्वारा तारों का भेजा जाना

7070. श्री रामलाल राही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों, जिनमें नागपुर (महाराष्ट्र) भी शामिल है, के तार साधारण डाक से भेजे जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1983 को हिन्दी "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई खोज बीन की गई है, और यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं। तार आम-तौर पर तार-लाइनों से भेजे जाते हैं। फिर भी, संचार व्यवस्था ठप्प होने और भारी संख्या में परियात एकत्र हो जाने जैसी विशेष परिस्थितियों में इन्हें हवाई जहाज, सन्देश वाहन या असाधारण डाक द्वारा भेजा जाता है। ऐसे तारों की प्रतिशतता आम तौर पर 2.5 से भी कम होती है।

(ख) और (ग) हिन्दी ब्लिट्ज के तारीख 12 फरवरी, 1983 के अंक में प्रकाशित मामले की जांच करने से पता चला है कि प्रकाशित सामग्री तथ्यों पर आधारित नहीं थी। 1.7.82 से 31.3.83 की अवधि के दौरान केन्द्रीय तार घर, नागपुर से डाक में डाले गए तारों की प्रतिशतता 1.51 है जो मुख्य रूप से कर्मचारियों की अनुपस्थिति और संचार व्यवस्था ठप्प हो जाने के कारण थी।

दूरदर्शन केन्द्रों में कैमरा मेंनों द्वारा कच्चे फिल्मों का दुरुपयोग

7071. श्री रामलाल राही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों पर कुछ कैमरा-मैन कच्ची फिल्मों का दुरुपयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और रख-रखाव सम्बन्धी नीति

7072. श्रीराम लाल राही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विद्युत बोर्ड विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उनको खरीद लेते हैं और जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक संख्या में ट्रांसफार्मर या तो जल जाते हैं अथवा उपयोगी सिद्ध नहीं होते और हजारों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और रख-रखाव के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं। राज्य बिजली बोर्ड